पत्र संख्या-विधि तीन (1)-4-सामान्य स्क्रूटिनी-08-09/ 09/0007 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक: अप्रैल/7 2009

समस्त अधिकारीगण,

<u>वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।</u>

वाणिज्य कर विभाग में अभिलेखों की स्क्रूटिनी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य विभागीय अभिलेखों को अद्यावधिक किया जाना, विभिन्न व्यापारियों के विभिन्न कर निर्धारण वर्षो में निस्तारण हेतु लम्बित मामलो को चिन्हित किया जाना, व्यापारियें पर बकाया धनराशि की जॉच कर बकाया रजिस्टर से मिलान किया जाना, व्यापारी को देय रिफण्ड के मामलो को चिन्हित किया जाना तथा उनका निस्तारण किया जाना तथा नये अभिलेखों को तैयार किया जाना तथा जिन पत्रावलियों में कोई कार्यवाही शेष नही है, उनको चिन्हित कर नियमानुसार उनका कन्साइनमेन्ट किया जाना आदि है।

2- इस वर्ष भी अभिलेखों की स्क्रूटिनी कराये जाने का निर्णय लिया गया है। स्क्रूटिनी के अन्तर्गत दिनॉक 16-05-2009 से 15-06-2009 के मध्य किये जाने वाले कार्य के सम्बंध में निम्न लिखित कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) लम्बित प्रपत्रों / प्रार्थना पत्रों एवं अन्य पत्रों का सम्बंधित पत्रावलियों पर रखा जाना तथा इन पत्रों / प्रपत्रों के आधार पर प्रविष्टियों का सम्बंधित अभिलेखों में इन्द्राज किया जाना।

(2) यदि किन्हीं अभिलेखों में क्रास इन्ट्रीज अवशेष हो तो उन्हें पूर्ण किया जाना।

(3) नई कर निर्धारण पत्रावलियों का खोला जाना।

(4) खण्ड के समस्त व्यापारियों की अधिकारीवार वादों की सूची तैयार करते हुए उसे रजिस्टर आर-5अ में दर्ज की जाय।

(5) आई0टी0सी0 रजिस्टर तथा मानीटरिंग रजिस्टर को अपडेट किया जाय।

(6) निस्तारित हुए वादों की प्रविष्टियां सभी सम्बन्धित अभिलेखों में करायी जाय।

(7) माह मार्च 2009 का नक्शा दिनांक 20-4-2009 तक प्रस्तुत किया जाना है। अत: प्राप्त समस्त नक्शो का परीक्षण करते हुए देय रिफण्ड, यदि कोई हो, तो उसका निस्तारण दिनांक 20-5-2009 तक प्रत्येक दशा में किया जाय। इस सम्बन्ध में लापरवाही बरते जाने पर ब्याज की देयता की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(8) स्क्रूटनी के पश्चात खण्डवार / अधिकारीवार एवं वर्षवार पेन्डेन्सी की सूचना बनाकर मुख्यालय को विधि अनुभाग को भेजा जाय।

(9) जिन व्यापारियों के कर निर्धारण वाद लगातार गत 02 वर्षो में एक पक्षीय रूप से निस्तारित किये गये है एवं व्यापार चलने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है, ऐसे मामलों में अगले वर्ष

की पेन्डेन्सी तब तक न खोली जाय जब तक व्यापार स्थल की स्थानीय जॉच पर व्यापार पंजीयन सीमा से अधिक न पाया जायें।

(10) स्क्रूटनी के दौरान व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत धारा-21, धारा-22 एवं धारा 30 के वाद तथा वैट अधिनियम के अन्तर्गत धारा 31 एवं धारा-32 के अन्तर्गत पेन्डिंग मामलों का निस्तारण किया जाय।

(11) चेक पोस्ट / सचल दल / प्रवर्तन दल एवं वि0 अनु0 शा0 से प्राप्त जमानत के मामलों मे अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाय।

(12) स्क्रूटनी के दौरान परिपक्व वसूली प्रमाण-पत्र के मामलों में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने / यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही की जानी है।

(13) सचल दल / वि0 अनु0 शा0 इकाई अथवा अन्य श्रोतो से प्राप्त बिलों को सम्बन्धित पत्रावली में लगाये जाने, सत्यापन करने एवं सत्यापन के फलस्वरूप पायी गयी स्थिति से सम्बन्धित को अवगत कराये जाने की कार्यवाही भी इस अवधि में की जायेगी।

(14) स्क्रूटनी के दौरान लम्बित पत्रावलियों के फाइल कवर पर समरी बनायी जाय।

3- उक्त कार्यो को प्राथमिकता से सम्पादित करने हेतु दिनांक 16-5-2009 से दिनांक 15-6-2009 तक सामान्य कर निर्धारण कार्य बन्द रहेगा परन्तु दिनॉक 31-07-09 तक कालबाधित होने वाले कर निर्धारण मामलों अथवा न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में निस्तारण योग्य मामलो तथा व्यापार कर / वैट अधिनियम के अन्तर्गत समयबद्व रूप से निस्तारित किये जाने हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण इस अवधि में किया जायेगा।

4- इस अवधि मे कन्साइनमेन्ट व वीडिंग का कार्य भी सुनिश्चित किया जायेगा। कन्साइनमेन्ट के लिए परिपक्व पायी गयी पत्रावलियॉ आर-22 पर दर्ज कर आलेखक प्रालेखक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कन्साइनमेन्ट का कार्य साथ-साथ चलेगा। इस सम्बंध में विस्तृत निर्देश परिपत्र सं0-सी0टी0टी0/निरी0अनु0/कान्सा0/ वीडिंग / 25/99-2000/23/ व्यापार कर दिनॉक 10-04-2000 से जारी किए गये है। कृत कार्यवाही की स्थिति से दिनांक 20-6-2009 तक निरीक्षण अनुभाग को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 17 की उपधारा (5) (क) के अनुसार प्रत्येक व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र का धारक है और वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायी है, दिनांक 01-01-2008 से 15 माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में ऐसे प्रमाण-पत्र की वैट अधिनियम में वैधता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन करेगा तथा यदि कोई व्यापारी न तो उक्त अवधि में उपरोक्तानुसार आवेदन करता है और न ही आवेदन हेतु अतिरिक्त समय प्राप्त करता है, तो उसका पंजीयन स्वत: निरस्त हो जायेगा। अत: पंजीयन प्रकोष्ठ के प्राधिकारी दिनांक 31-03-2009 तक वैट प्रारुप VII / VIII दाखिल न करने वाले व्यापरियों को चिन्हित करते हुए उनके सम्बन्ध में पंजीकृत व्यापारियों के डीलर डाटा बेस में तत्काल संशोधन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही

ऐसे व्यापारियों की सूची त्वरित गति से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को भेजेगें जो ऐसे समस्त मामलों में विधि अनुकूल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

6- फील्ड स्तर पर रिटर्न एवं वैट प्रारूप VII / VIII कम्प्यूटर में फीड कराने हेतु आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की गयी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से फीड कराये गये डाटा के सही होने के सत्यापन / त्रुटियो का निराकरण कराते हुए तद्नुसार प्रमाणपत्र भी दिनांक 25-05-2009 तक मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को उपलब्ध कराया जायगा।

7- खण्डो के पुर्नविभाजन के फलस्वरूप एक खण्ड से दूसरे खण्ड को हस्तांतरित की जाने वाली कर निर्धारण / वि0अनु0शा0 / गोपनीय / बकाया से सम्बन्धित एवं अन्य पत्रावलियों में से यदि कोई पत्रावली अभी भी हस्तांतरित होने से रह गयी हो तो उसे भी इसी अवधि में हस्तांतरित किया जायेगा। कोई भी पत्रावली बाद में हस्तांतरण के लिए अवशेष रह जाना पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8- इस अवधि में सम्बंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को सामान्यत: कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा ।

9- सम्बन्धित कार्यालयों में तैनात अधिकारी स्क्रूटनी कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा की जा रही स्क्रूटिनी का समय-समय पर निरीक्षण करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त हो जाये। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) भी अपने सम्भाग में सभी खण्ड कार्यालयें / पंजीयन प्रकोष्ठो में की जा रही स्क्रूटिनी का निरीक्षण स्क्रूटिनी अवधि में कम से कम दो बार अवश्य करेंगें तथा निरीक्षण की प्रति संक्षिप्त टिप्पणी मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग को प्रेषित करेगें।

10- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर भी यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार स्क्रूटिनी का कार्य उनके जोन के सभी कार्यालयों मे समयबद्व रुप से तथा गम्भीरता पूर्वक किया जा रहा है।

11- स्क्रूटनी समाप्त होने के पश्चात खण्डाधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि स्क्रूटनी का समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ उपर्युक्त समस्त कार्य निधारित अवधि के अन्दर पूरा करना सुनिश्चित करें।

5/6/09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।